

कार्यालय नगर परिषद चांद, जिला छिंदवाडा (म.प्र.)

दुर्गा चौक, वार्ड क. 06 तारण तरण वार्ड, 480110ए जिला छिंदवाडा(म0प्र0)फोन नं. 07166272263- CmoChand@mpurban.gov.in

क्रमांक / ...265.../ लो0नि0शा0 / न0प0 / 2026

चांद, दिनांक 08-05-2026

// ई-निविदा आमंत्रण सूचना //

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है। कि लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम क्षेत्री के पंजीयक कृत ठेकेदार/फर्म से अधोलिखित विवरण अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिनांक 02 अगस्त 2021 एवं समस्त संशोधन सहित प्रभावशील प्रचलित आईएसएसआर के आधार पर कम/अधिक प्रतिशत दर पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	कार्य का नाम एवं विवरण	प्राक्कलन राशि (रु० में)	धरोहर राशि (रु० में)	निविदा फार्म का शुल्क	श्रेणी	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7
2026-UPAD-507(32-1)	कलामंच निर्माण बांदगाव रोड शिव मंदिर के पास वार्ड क्रमांक 04 चांद	85326.84/-	1710/-	1000.00	केन्द्रीकृत PWD पंजीयन	03 माह वर्षाकाल सहित

शर्तें:—इच्छुक एवं पात्र निविदादाता विरतुत निविदा एवं अन्य समस्त जानकारी वेबसाई <https://www.mptenders.gov.in> में विभाग का नाम नगरीय प्रशासन एवं विकास पर देखी जा सकती है।

1. निविदा प्रपत्र दिनांक 04.05/26 से 01.06/26 को साय 5:30 बजे तक वेबसाई पर ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त किये जा सकेंगे।
2. ऑनलाईन बिड सबमिट करने की दिनांक 01.06/26 साय 5:30 बजे तक वेबसाईट ऑनलाईन जमा कर सकेंगे।
3. निविदा मूल धरोहर राशि एवं अन्य दस्तावेज केवल ऑनलाईन मान्य किये जावेगे।
4. निविदा में किये जाने वाले संभावित संशोधन की सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर चरपा की जावेगी। संशोधन ऑन लाईन वेबसाईट पर देखे जावे समाचार पत्रों पर नहीं किया जावेगा।
5. कार्यकी गुणवत्ता सर्वोपरी होगी एवं कार्य समय सीमा पर पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा विलंब कार्यवाही नगर परिषद द्वारा की जावेगी।
6. निविदा फार्म खोलने की दिनांक 03.06/26 समय 12:00 बजे से है।
7. टेण्डर फार्म—ए में संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा—
(अ) अमानत राशि (EMD) (ब) निर्धारित शपथ पत्र (Affidavit)
(स) (PWD) का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र। (द) पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. नं.
8. निविदाकार के द्वारा निर्माण कार्य के कांफ्रीट मशीन बाईब्रेटर मशीन, तथा कान्क्रीट कार्य पर 20 दिन पानी की तराई नहीं होने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त राशि काटी जावेगी। जो वापसी के अयोग्य है।
9. निविदा में जी.एस.टी. छोड़कर समस्त करों की कटौती नियमानुसार की जावेगी एवं प्रत्येक देयक के साथ जी.एस.टी. का भुगतान तत समय प्रचलित दर से किया जावेगा।
10. निविदा के समस्त अधिकार नगर परिषद चांद के पास सुरक्षित होंगे।
11. ठेकेदार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/प्रशासन के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. निविदाकार को दर स्वीकृति उपरांत जिला श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनिमय एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रारूप-05 तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ठेकेदार के उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
13. निकाय में राशि उपलब्ध होने पर ही भुगतान यथासमय किया जावेगा जिसे निविदाकार को मान्य करना होगा।
14. निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा एवं ऐसी अन्य समस्त नियम एवं शर्तें तथा किसी भी विवाद की स्थिति में जो की उल्लेखित नहीं है। के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश / दिशा निर्देश अंतिम एवं मान्य होंगे।
नोट — (1) निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में केवल ऑनलाईन संशोधन किया जावेगा, समाचार पत्रों में नहीं।
(2) निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण देना अनिवार्य होगा।
(3) निविदाकार लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण दर स्वीकृति उपरांत देना अनिवार्य होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।

अध्यक्ष
(दानसिंह पटेल जी)
नगर परिषद चांद

उपाध्यक्ष
(देवेन्द्र सिंह पटेल जी)
नगर परिषद चांद

सभापति
(श्रीमति शर्मिला पाटिल जी)
नगर परिषद चांद

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
(मुख्याधिकारी)
नगर परिषद चांद

पृष्ठ क्रमांक / 265/11 लो0नि0शा0 / न0प0 / 2026

चांद, दिनांक 08-05-2026

- प्रतिलिपि —1 माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महोदय, नगर परिषद चांद की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ हेतु।
 3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका छिंदवाडा/ परासिया/ जुन्नारदेव/ चौरई/ बिछुआ अमरवाडा/ हरई/ सौसर/ लोधीखेडा/ मोहगांव के सूचना पटल पर चरपा हेतु।
 4. कार्यालय नगर परिषद चांद के सूचना पटल पर चरपा हेतु।
 5. राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रकम से कम स्पेश में मुख्य पृष्ठ में प्रकाशन करने हेतु।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
(मुख्याधिकारी)
नगर परिषद चांद